न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 101/2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

भगवतीलाल पिता लक्ष्मण जाति तेली निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). अशोक पिता रघुनाथ जाति रेदास निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

(2). जयनारायण पिता कालूराम जाति धाकड़ निवासी कनाड तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़। मृतक के बजाए-

2(1). तपेश पिता जयनारायण जाति धाकड़ निवासी कनाड तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़।

(3). भूमिधारी तहसीलदार अरनोद तहसील, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद
प्रकरण संख्या 08/2016 निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.05.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट -अधिवक्ता अपीलांट
(2). राकेशपुरी गोस्वामी-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 2-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3

निर्णय **दिनांक 09.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा अरनोद तहसील अरनोद मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खाता संख्या 408 मे दर्ज आराजी संख्या 1405 रकबा 0.41 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु मौके पर स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कई वर्षो से किया जा रहा है। उक्त कदीमी रास्ता अरनोद से कनाड जाने वाले रास्ते से लगता हुआ होकर उक्त रास्ते के पश्चिम दिशा मे स्थित है और उक्त रास्ता आराजी संख्या 1386 व 1387 एवं 1403 के मध्य से होते हुए आराजी संख्या 1404 की पश्चिम मेड पर होते हुए आराजी संख्या 1405 तक जाता है और उक्त आराजी पर अन्य खातेदार जो कि इस रास्ते से लगते हुए है वे भी आवागमन कई वर्षो से करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी संख्या 1405 मे आने-जाने हेतु रास्ता आराजी संख्या 1386 व आराजी संख्या 1387 मे मध्य स्थित है। आराजी संख्या 1386 अपीलांट विपक्षी संख्या 1 व आराजी सख्या 1387 रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। विपक्षीगणों द्वारा उक्त कदीमी रास्ते को हकांई जुताई कर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी आराजीयात मे कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरणों को लाने ले जाने मे परेशानी का सामना करना पड रहा है। अन्त मे मौजा अरनोद की आराजी संख्या 1386, 1387 के मध्य से होते हुए आराजी संखय 1404 की पश्चिमी मेड से लगते हुए आराजी संख्या 1405 तक उक्त रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे मे उक्त रास्ते को तरमीम किये जाने का निवेदन किया साथ ही रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई कृषि भूमि की एवज मे क्षतिपूर्ति राशी का भुगतान प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के मार्फत विपक्षीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार अरनोद को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना मे तहसीलदार अरनोद ने दिनांक 15.10.2016 को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार करा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। पत्रावली विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब हेतु नियत थी। विपक्षी संख्या 1 व 2 को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब पेश नही किया जाना बताकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस एकपक्षीय नियत की गई। दिनांक 04.05.2017 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली मे उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु वांछित रास्ता अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी संख्या 1386 मे कायम किया जाकर आराजी संख्या 1386 मे से रास्ते के उपयोग मे आई कृषि आराजीयात के कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि खातेदार अपीलांट विपक्षी संख्या 1 को अदा किये जाने अथवा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जमा करवाने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार अरनोद को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया परन्तु तहसीलदार अरनोद ने अपीलांट विपक्षी सख्या 1 को बिना सूचना दिए मौका रिपोर्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का अरनोद द्वारा तैयार करवाई जाकर उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की गई। इस प्रकार तहसीलदार अरनोद को न तो मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया और न ही तहसीलदार अरनोद स्वयं मौके पर उपस्थित हुआ। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा अरनोद की प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की खाता संख्या 408 मे दर्ज आराजी संख्या 1405 रकबा 0.41 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए रास्ता कायम किये जाने हेतु जांच पटवारी हल्का से कराई गई जिसके अनुसार अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1386 की 26 गुणा 10 कुलिया 2600 वर्गफीट आराजी मे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रास्ता देने का पर्चा मौका बनाया गया व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे रास्ते के रूप मे दी गई भूमि के एवज मे क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार अरनोद को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना मे तहसीलदार अरनोद ने दिनांक 15.10.2016 को मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा विधिपूर्वक तैयार करा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ता आराजी संख्या 1386 मे विद्यमान होने व उक्त रास्ते को खातेदार अपीलांट विपक्षी संख्या 1 द्वारा अवरूद्ध किया जाना अंकित किया है साथ ही उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने-जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 1386 मे विद्यमान उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे आराजी संख्या 1386 मे से 2600 वर्गफीट कृषि भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग किया जाना अंकित किया है जो अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की अनुपस्थिति मे पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय व आदेश पारित किया है, जिसमे मौजा अरनोद की आराजी संख्या 1386 रकबा 2600 वर्गफीट भूमि का रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है व अपने निर्णय मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई भूमि की कितनी क्षतिपूर्ति राशी खातेदार अपीलांट विपक्षी संख्या 1 को अदा की जानी है उक्त राशी का उल्लेख अपने निर्णय मे नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मे स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी अपने निर्णय मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई कृषि भूमि की एवज मे खातेदार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि तय कर खातेदार को अदा कराई जावेगी। हस्तगत प्रकरण मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई कृषि भूमि के एवज मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशी तय नही करते हुए निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद प्रकरण सं. 08/2016 निर्णय व आदेश दिनांक 04.05.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रास्ते के रूप मे उपयोग मे आई कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति राशी का निर्धारण करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे प्रकरण का तीन माह मे अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.12.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़